न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 79 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 128

प्रार्थीगण **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थीगण

1.गन्नीखां पुत्र अकबरखां

2.जमेखां पुत्र अकबरखां

3.मलेखां पुत्र अकबरखां

4.मोहम्मदखां पुत्र अकबरखां

5.सुभानखां पुत्र अकबरखां

जाति सिंधी मुसलमान

निवासी गुलाम हुसैन नगर

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1.अदरीम पुत्र गफुरखां

2.खमेखां पुत्र गफुरखां

3.मुछेखां पुत्र गफुरखां

4.हनीफ पुत्र गफुरखां

5.इदेखां पुत्र हाजी

6.निमाजी पत्नी हाजी

7.जैनो पत्नि लतीब

8.दमी पुत्री समदा

9.मिसरों पुत्री समदा

10.संजु पुत्री समदा

11.फरीदा पुत्र रिडमलखां

12.सकुरखां पुत्रसमेखां

13.रेशी पत्नी समेखां

14.रवीना पुत्र समेखां

15.रिमजान पुत्र समेखां जाति मुसलमान

विप्रार्थी संख्या 14 व 15 नाबालिग

जरिए कुदरती वलीया माता रेशी

पत्नी समेखां

16.मदरसा फोजे बाबा नि.सा. सोठो

भेपो मसलों की ढाणी जरिए

अध्यक्ष मलेखां पुत्र अनवर खां

जाति मुसलमान

17.अबुखां पुत्र तईबखां

18.[illegible] तईबखां

19.[illegible]फुर [illegible] तईबखां

20.[illegible] तईबखां

21.अलाखां पुत्र मुसेखां

22.स[illegible]खां पुत्र मुसेखां

23.हासमखां पुत्र मुसेखां ममममम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:41:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

24.जैनों पत्नी नुरेखां

25.पपुखां पुत्र नुरेखां

26.मौजीखां पुत्र नुरेखां

27.समेखां पुत्र नुरेखां

28.साबुखां पुत्र नुरेखां

29.जलाल पुत्र नभेखां

30.रोशन पुत्र नभेखां जाति मुसलमान

31.उदयपुरी पुत्र मोड़पुरी

32.बाबुपुरी पुत्र पुत्र मोड़पुरी

33.कादर खां पुत्र हलीम जाति सिपाही
निवासी गुलाम हुसैन नगर
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

37.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

आदेश

दिनांक 12.9.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 238/57 क्षेत्रफल 8.9193 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अंत प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 238/57 क्षेत्रफल 8.9193 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री मुनीर अली की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 से 15 व 17 से 30 की तरफ से दिनांक29.4.2024 को वकालतनामा पेश किया गया था,लेकिन चार माह से अधिक समय लिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:41:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिनांक 21.8.2024 को उक्त विप्रार्थी की तरफ से No Instructions Plead किया गया। इस प्रकार विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 238/57 क्षेत्रफल 8.9193 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है। अंत मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 238/57 क्षेत्रफल 8.9193 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश किया जावें।

4.हमनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 238/57 क्षेत्रफल 8.9193 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–**धारा 128 सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेगें:

1(किन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के विषय मे कोई विवाद अधिमान्य नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठानें की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेगें)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादो का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 16.1.2024 अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है,ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 में विहित [illegible] के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। प्रार्थीगण अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:41:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

5.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है,कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 मे विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम गुलाम हुसैन नगर तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 238/57 क्षेत्रफल 8.9193 हैक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिए नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगे। यदि विवाद हो,तो पालना रिपोर्ट पेश करे। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 12.9.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.19 17:41:00 IST
Reason: SelfAttested